प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 05. 08 .2024**

आज दिनांक 05. 08. 2024 को मर्चेंट्स चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल से प्रेम मनोहर गुप्ता, एडवाइजर, इंडस्ट्री समिति, सुशील शर्मा, चेयरमैन, इंडस्ट्री समिति, अनिल शरन गर्ग, वाईस-चेयरमैन, इंडस्ट्री समिति , रूफी वाकी, वाईस-चेयरमैन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट समिति, एवं महेंद्र मोदी, सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और निर्यात संवर्धन प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार से मुलाकात की जिसमें क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा सामना की जा रही महत्वपूर्ण समस्याओं और अवसरों पर चर्चा की गई।

बैठक में चैम्बर द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसमे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए:

- **संपत्ति कर छूट:** राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 912/9-24 85 जे/05 टी.सी.-1 दिनांक 28.06.2024 के अनुसार, राज्य सरकार ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को संपत्ति कर निर्धारण के संबंध में कुछ छूट दी है। इसमें नगर निगम के क्षेत्राधिकार को भी इसमें शामिल करने के लिए कदम उठाएं जाये ।
- एमएसएमई की मुख्य चिंता अपने दैनिक कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी बनाए रखना है। इस समस्या से निपटने और एमएसएमई को समर्थन देने के लिए सरकार ने एमएसएमई को जमानत मुक्त ऋण देने की योजना पहले ही शुरू कर दी है, लेकिन हमें बहुत खेद है कि इस लाभ को पाने के लिए बैंकों से संपर्क करने पर बैंक किसी भी एमएसएमई को जमानत मुक्त ऋण देने के लिए मंजूरी या समर्थन नहीं दे रहे हैं। इस योजना का पालन सुनिश्चित करने के लिए आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- GeM पोर्टल 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सप्लाई ऑर्डर के लिए SO अपलोड होते ही उच्च शुल्क वसूल रहा है। इसे या तो माफ किया जाना चाहिए या खरीदार से भुगतान प्राप्त होने के समय ही वसूला जाना चाहिए।
- **जीएसटी चुनौतियाँ:** जीएसटी विनियमों के कारण MSMEs द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा, विशेष रूप से जब आपूर्तिकर्ता जीएसटी जमा करने में देरी करते हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने में कठिनाई होती है। पूंजी रोकथाम से बचने के लिए सुधारों का सुझाव।
- **औद्योगिक लाइसेंसिंग और रक्षा सुविधा:** औद्योगिक लाइसेंसिंग और रक्षा सुविधा के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र के लिए। कानपुर में एक रक्षा सुविधा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव ताकि कानपुर-झांसी बेल्ट में रक्षा गलियारे का समर्थन किया जा सके।
- **औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र:** स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू और विदेशी खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कानपुर में सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक प्रदर्शनी केन्द्र की तत्काल आवश्यकता है।
- **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी:** MSMEs के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी से छूट या एक वैकल्पिक रूप में बीमा रसीदों की स्वीकृति का अनुरोध, ताकि वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।
- कुछ राज्य सरकार की इकाइयां अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ताओं से बयाना राशि जमा करने की मांग कर रही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और एमएसएमई के लिए पूरे देश में इससे छूट दी जानी चाहिए।
- **अग्रिम भुगतान:** सरकारी खरीद के खिलाफ कम से कम 50% अग्रिम भुगतान के लिए जोर ताकि MSMEs पर कार्यशील पूंजी का दबाव कम हो सके और समय पर भुगतान के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता।
- **फुटवियर पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंड (बीआईएस):** भारत सरकार ने अपने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के माध्यम से 1 जुलाई, 2023 से फुटवियर पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंड (बीआईएस) को लागू किया है। सूक्ष्म और लघु को इस आदेश से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि भारत में (50 करोड़ से कम) टर्नओवर वाली ये इकाइयां फुटवियर निर्माण उद्योग का 80% -85% हिस्सा हैं। प्रत्येक मानक के लिए बीआईएस प्रमाणपत्र बहुत महंगा है (यह लाखों में हो सकता है)। यदि आप चप्पल, हवाई चप्पल और औपचारिक जूते, स्पोर्ट्स जूते बनाते हैं तो आपको सभी श्रेणियों के लिए पंजीकरण कराना होगा, इसलिए आपको अपने उत्पाद श्रेणी को पंजीकृत करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने होंगे और फिर, नवीनीकरण, अंकन शुल्क और प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क जो कि सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए इस बीआईएस प्रमाणीकरण के लिए भुगतान करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

- **स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति:** औद्योगिक निवेश और रोजगार संवर्धन नीति 2017 का पालन करने वाली कंपनियों के लिए स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति में देरी को संबोधित किया। हमारा सुझाव है कि सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को बीआईएस मानदंडों से छूट दी जा सकती है।
- **पीएफ/ईएसआई/श्रम कानूनों से छूट:** वर्तमान में उद्यमियों को कर्मचारियों की संख्या -10- तक बढ़ने पर पीएफ/ईएसआई की राशि काटकर जमा करानी होती है। पहले यह सीमा -20- थी। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर -50- किया जाना चाहिए क्योंकि एमएसएमई सीमित साधनों और सीमित कार्यबल के साथ काम कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारी औपचारिकताएं/कागज़ी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों के लिए ये योजनाएँ शुरू की गई हैं, वे अपने वेतन से कोई कटौती नहीं चाहते हैं। वे बिना किसी कटौती के पूरा वेतन चाहते हैं। नतीजतन, उद्यमियों को कानूनी अनुपालन को पूरा करने के लिए अपना अंशदान भी जमा करना पड़ता है। उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा सुझाव है कि इस सीमा को बढ़ाकर -50 कर दिया जाए। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी और रोजगार सृजन भी बढ़ेगा।
- **औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड:** वर्तमान में यू.पी.एस.आई.डी.ए. एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड लीज होल्ड आधार पर हैं। लीज होल्ड औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड में आवंटित/परिवर्तित करने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए।
- **निर्यात/आयात दस्तावेज:** हम यह प्रस्तुत करने के लिए लिख रहे हैं कि इस प्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए क्योंकि बैंकों को निर्यात/आयात दस्तावेज जमा करने के लिए वर्तमान प्रणाली पूरी तरह से अनुत्पादक/समय लेने वाली है और इसमें अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होती है, जो लागत के साथ बिल्कुल भी व्यवहार्य नहीं है, बल्कि विशेष रूप से एमएसएमई के लिए दर्दनाक है (क्योंकि वे सीमित जनशक्ति के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें लागत का बोझ भी झेलना पड़ता है), जिसके कारण अंततः बार-बार कठोर शब्दों में चेतावनी देकर उत्पीड़न होता है और गैर-अनुपालन के लिए भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी जाती है। यह "व्यापार करने में आसानी" के सरकारी उद्देश्य के भी विरुद्ध है।
- **कानपुर में टूल रूम:** सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले फजल गंज, कानपुर में एक टूल रूम की स्थापना की गई थी, लेकिन वह अभी भी चालू नहीं है। कृपया हस्तक्षेप करें ताकि यह टूल चालू हो सके।
- **आई.टी. एवं कॉर्पोरेट पार्क की स्थापना:** म्यूर मिल, सिविल लाइन्स, कानपुर की बेकार पड़ी जमीन का औद्योगिक भू-उपयोग करते हुए आई.टी. एवं कॉर्पोरेट पार्क की स्थापना की जा सकती है। इस विषय पर काफी पहले एक पत्र मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय को भेजा जा चुका है। इसपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है | कृपया इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाएं ताकि कानपुर शहर के औद्योगिक विकास में यह जमीन उपयोगी साबित हो सके।

बैठक का समापन श्री आलोक कुमार द्वारा MCUP द्वारा प्रस्तुत चिंताओं और सुझावों की समीक्षा करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश में MSMEs के विकास का समर्थन और प्रचार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।